न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 71/2023

गायत्रीदेवी पत्नि हडमानाराम जाति जाट निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू

वादीनी

बनाम

1. सुरजनाथ पुत्र लाभुनाथ जाति सिद्व निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
2. रेवन्तनाथ पुत्र धर्मनाथ जाति सिद्व निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
3. किशननाथ पुत्र धर्मनाथ जाति सिद्व निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
4. रूपनाथ पुत्र धर्मनाथ जाति सिद्व निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
5. पदमी पुत्री धर्मनाथ जाति सिद्व निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
6. हीरकी पुत्री धर्मनाथ जाति सिद्व निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
7. भागुनाथ पुत्र हेमनाथ जाति सिद्व निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
8. जमनी पुत्री हेमनाथ जाति सिद्व निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
9. डूंगरी पुत्री हेमनाथ जाति सिद्व निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
10. तुलछी पुत्री हेमनाथ जाति सिद्व निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
11. बादु पुत्री हेमनाथ जाति सिद्व निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
12. भूरी पुत्री हेमनाथ जाति सिद्व निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
13. शेरा पुत्री हेमनाथ जाति सिद्व निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
14. द्वारकानाथ पुत्र मोटनाथ जाति सिद्व निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
15. रेवन्तनाथ पुत्र मोटनाथ जाति सिद्व निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
16. भंवरी पुत्री मोटनाथ जाति सिद्व निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
17. गीता पुत्री सोहनलाल जाति सिद्व निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
18. धापु पुत्री सोहनलाल जाति सिद्व निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
19. भंवरी पुत्री सोहनलाल जाति सिद्व निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
20. सुण्डा पुत्री सोहनलाल जाति सिद्व निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
21. धापु पत्नि जीवननाथ जाति सिद्व निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
22. बेगनाथ पुत्र जीवननाथ जाति सिद्व निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
23. मीरा पुत्री जीवननाथ जाति सिद्व निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
24. बनानाथ पुत्र उदानाथ जाति सिद्व निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
25. रतानाथ पुत्र उदानाथ जाति सिद्व निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
26. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :–
मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादीनी

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

—: निर्णय :—

दिनांकः— 12-12-2024

वादपत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 25 पच्चीस के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 451 चार सो ईकावन तादादी 5.5265 पांच दशमलव पांच दो छः पांच हेक्टेयर भूमि वाके रोही ग्राम उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें वादीनी 25/437 पच्चीस बट्टा चार सो सेंतीस हिस्सा भूमि की खातेदार कृषक है। जिसे आगे वादगत भूमि कहा गया है। वादगत भूमि का मौके पर वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 25 पच्चीस की हिस्सा भूमि का मौखिक विभाजन किया हुआ है। मुताबिक मौखिक विभाजन के सलंग्न नजरी नक्शा की भूमि वादीनी के हिस्सा पांति में आई हुई है। मौखिक विभाजन के मुताबिक वादीनी एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 25 पच्चीस अपने—अपने हिस्से की भूमि को काश्त करते आ रहे है। वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 25 पच्चीस का खान—पान, रहन—सहन अलग—अलग है। वादगत भूमि की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित होने के कारण वादीनी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानी उठानी पड रही है। इसलिए वादीनी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये। जिसके लिए वादीनी को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादीनी ने दिनांक 15.11.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 25 पच्चीस से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने—अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक—पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 25 पच्चीस साफ इनकार हो गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 25 पच्चीस ने वादीनी को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादी को बेदखल करेंगे तथा किसी भूमाफियों को विकय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगे, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 25 पच्चीस को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 25 पच्चीस अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादीनी को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादीनी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 25 पच्चीस को वर्जित कराये कि वोह वादीनी को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विकय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादीनी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें रूकावटें आदि पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत खेत वादीनी के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होने से

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

वादीनी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 25 पच्चीस की ऐलानियां धमकियां से वादीनी को वाद हेतुक प्राप्त है। राज्य सरकार भू धारक है जो वाद में आवश्यक पक्षकार है। कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए राजस्थान सरकार को वाद में प्रतिवादी संख्या 26 छबीस के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। खातेदार मोहनी पत्नि धर्मनाथ, मानी पत्नि हेमनाथ, मोटनाथ पुत्र हेमनाथ, नानू पत्नि सोहनलाल का स्वर्गवास हो चुका है जिसके जायज वारिस वाद में पक्षकार संयोजित है। वाद वादीनी संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एंव चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादीनी निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 बावजुद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद में पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। वादी वकील की बहस सुनी गई। वादी वकील ने दौराने बहस दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।

वादी वकील की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जो अभिवचन वादीनी द्धारा वाद में किए गए है उसका विरोध इस न्यायालय में किसी भी व्यक्ति द्धारा नहीं किया गया है। इस कारण इस वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई। वादीनी कब्जा काश्त के आधार पर वादगत भूमि में अपनी हिस्सा भूमि का विभाजन करवाना चाहती है जो न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः वादीनी का वाद विभाजन का स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री इस प्रकार जारी की जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम उंटालड खसरा संख्या 451 तादादी 5.5265 हेक्टेयर वादीनी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें वादीनी की 25/437 हिस्सा भूमि है। तहसीलदार बीदासर से केवल वादीनी की 25/437 हिस्सा भूमि का कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। इस हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 12-12-2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

प्रारम्भिक डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दीवानी)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बीदासर व इजलास अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

गायत्री बनाम सुरजनाथ आदि

दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।

मुकदमा न.:– 71/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु.....हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते वादी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्रारम्भिक डिक्री दी जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम उंटालड खसरा संख्या 451 तादादी 5.5265 हेक्टेयर वादीनी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें वादीनी की 25/437 हिस्सा भूमि है। तहसीलदार बीदासर से केवल वादीनी की 25/437 हिस्सा भूमि का कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

चीज.....—.....मुबलिग.....—.....बाबत.....—.....खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह.....—..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक.....—.....को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12-12-2024

मुहर

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी

ओहदा बीदासर (चूरू)

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।

उपखण्ड अधिकारी

बीदासर (चूरू)